

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024-भाद्र 15, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक-डूडा-2024-~~359~~-एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अशोकनगर जिले की मुंगावली ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर परिषद मुंगावली की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची-1 में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला अशोकनगर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर धारा 5 (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा :-

अनुसूची - एक

नगर परिषद मुंगावली की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

| क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | सम्मिलित ग्राम | शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल |
|------|---------------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | बरवाह | भारतपुरा | सर्वे नंबर 116, 117, 118, 120 रकवा 4.913 हेक्टर शेष रकवा ग्रामीण अर्थात् ग्राम पंचायत बरवाह का हिस्सा रहेगा |

अनुसूची - दो

अनुसूची-एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद मुंगावली की पुनरिक्षित सीमा निम्न प्रकार है :-

उत्तर में - सर्वे नंबर 122 ग्राम चंदेरी रोड की ओर

पूर्व में - ग्राम रतभानपुर की सीमा

दक्षिण में - ग्राम भारतपुरा का सर्वे नंबर 113, 115, 114

पश्चिम में - मुंगावली चंदेरी रोड सर्वे नंबर 122 की सीमा रेल्वे फाटक तथा सर्वे नंबर 117 की संपूर्ण सीमा

सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर.

कार्यालय, नगर परिषद, पचौर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

पचौर, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1836 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद पचौर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद पचौर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+9+10) | रिमार्क |
|------|--------|----------------------------------|--|-----|---|--|------------------------------|---|---|--------------|---------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 37 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| योग | | | 55 | 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |

दीपक कुमार रानवे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

नौगांव, दिनांक 28 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था0/2024/1758 :: दिव्यांगजन अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानो के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधो के अधीन नगर पालिका परिषद नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टयो के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद्वारा पदो को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक
नगर पालिका परिषद नौगांव
अनुसूची-दो
दिव्यांगजन के लिये पदो का चिन्हांकन

| क्र | श्रेणी | पद/सर्वर्ग का नाम (नियमित/संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनो के लिए 6 प्रशित के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदो की संख्या | दिव्यांगजनो अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वर्ग एवं संख्या | | | | योग (8+9+10+11) | रिमांक |
|-----|--------|-----------------------------------|--|-----|--|--|---------------------------|--|--|-----------------|--------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) | बहरे और सुनने वाले (1.5%) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (नियमित) | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 54 | | 03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 03 | - |

नीतू सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

हरपालपुर, दिनांक 28 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था/2024/1451 ::दिव्यांगजन अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद हरपालपुर जिला छतरपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक
नगर परिषद हरपालपुर जिला छतरपुर
अनुसूची-दो
दिव्यांगजन के लिये पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद संख्या | योग | निशक्तजन के लिये 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या 6 प्रतिशत | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग 7+8+9+1 0 | रिमांक |
|------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|--------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित 1.5 प्रतिशत | बहरे और कम सुनने वाले 1.5 प्रतिशत | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रेल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी 1.5 प्रतिशत | ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलागत 1.5 प्रतिशत | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (नियमित) | 09 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | | सफाई संरक्षक (संविदा) | 28 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |

नबाब सिंह परमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, सारंगपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक/स्था./2024/3546 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला
राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद सर्वग का (नियमित / संविदा) | सीधी भर्ती के दिये गये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनो के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकि त किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/ संवर्ग एवं संख्या | | | योग (7+8+ 9+10) | रिमा क | |
|------|------------------|--|---|-----|---|---|--|--|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | दृष्टबाधि त और कम दृ ष्टि, (1.5%) | बहरे और कम सुनने वाले, (1.5%) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) | | | ऑटिज्म, दिव्यांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | चतुर्थ श्रेणी | सफाई संरक्षक (नियमित) | 32 | 32 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | | सफाई संरक्षक (संविदा) | 52 | 52 | 3 | 0 | 01 | 01 | 01 | 3 | - |
| | | | 84 | 84 | 5 | 01 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |

लालसिंह डोडिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

नरसिंहगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक/स्था./2024/1852 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 9+ 10) | रिमांक |
|------|--------|-----------------------------------|--|-----|---|--|------------------------------|---|--|----------------|--------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5%) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 43 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |
| योग | | | 65 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |

निगहत सुल्ताना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

जीरापुर, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक/स्था./2024/.818.. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद जीरापुर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद जीरापुर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 8 + 9 + 10) | रिमार्क |
|------|--------|------------------------------------|--|-----|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 29 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| योग | | | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |

मेहमुद अली, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.